Extract

आदेश

वाद सं०- 14/17, धारा-144 दं०प्र०सं०

सदानन्द सोनार उर्फ गुडू प्रसाद स्वर्णकार

बनाम

रानी सोनार

उपरोक्त वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दिनांक 04/03/17 को आरंभ की गयी है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है—

मौजा- चौबे, थाना-चलकुशा, जिला- हजारीबाग,
खाता नं०- 113, प्लॉट नं०- 1431, रकबा- 25 डी०-
-मध्ये 12 डी०, चौहद्दी - उ०- खीरु सोनार, महादेव सोनार द०- बुधन सोनार, पू०- मिसिर चौधरी, लालजी सोनार, प०- प्रथम पक्ष का मकान।

उभय पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गयी।

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य खाता-प्लॉट भी प्रथम पक्ष को अपने नानी मोसोमात रूपिया पति शिवचरण के द्वारा ~~उक्त खाता~~ निबन्धित विक्रय पत्र से दिनांक 23.06.1975 से प्राप्त है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि प्रश्नगत खाता-प्लॉट का कुल रकबा 25 डी० है, जिसमें से प्रथम पक्ष को उपरोक्त केवाला में 2¼ डी० ही लिखा गया है लेकिन चौहद्दी पूरे 25 डि० का लिखा गया है। इस बात को लेकर प्रथम पक्ष का

...आगे

कहना है कि काफी चर्चा हुआ कि उक्त प्लॉट 2¼ डी॰ ही लिखा गया है तो 12 डी॰ पर कैसे काबिज रहेंगे। जिसे शेष छानबीन करने के बाद 12 डी॰ प्रथम पक्ष को दिया गया, क्योंकि चौहद्दी के मुताबिक 25 डी॰ बनता है। प्रथम पक्ष पुनः कहते हैं कि केवाला के मुताबिक 2¼ डी॰ का चौहद्दी - उ॰ - मंगरू सिंह, द॰ - कपन सोनार, पूरब रेवानन्द चौधरी, प॰ - कमान नीज है। द्वितीय पक्ष जबरजस्ती प्रथम पक्ष के 12 डी॰ हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं।

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन / साक्ष्य के साथ नि॰ विपत्र सं॰ - 13561, दिनांक - 23/06/75 की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति तथा, खाता सं॰ 112 एवं 113 की 0.82¾ ए॰ की वर्ष 2011-12 तक के लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के केवाला में 2¼ डी॰ भूमि लिखा है और 12 डी॰ जमीन पर वाद की कार्यवाही आरंभ की गयी है। प्रथम पक्ष ने स्वयं कहा है कि उनके केवाला में भूमि का रकबा 2¼ डी॰ प्राप्त है परन्तु चौहद्दी पूरे 25 डी॰ का लिखा हुआ है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें प्रथम पक्ष भूमि खतियानी रैयत का वंशज होने के नाते से प्राप्त है। प्रथम पक्ष के कारण इच्छा के अनुसार

--- बाकी

प्रथम पक्ष के केवाला और आवेदन में अंकित भूमि के रकबा एवं चौहद्दी में अन्तर के साथ से इस वाद की कार्यवाही को ~~अस~~ अस्पष्टता के आधार पर समाप्त कर दिया जाय।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि केवाला से उन्हे 2¼ डी० ही प्राप्त है जिसका वास्तविक चौहद्दी वाद ~~के~~ पत्र में दर्शायी गयी चौहद्दी से भिन्न है। पुन: यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके केवाला में प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण 25 डी० भूमि की चौहद्दी अंकित है। उपरोक्त स्थिति में उभय पक्षों को शांति बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही अस्पष्टता (Vagueness) के आधार पर समाप्त की जाती है।

02/03/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही।